लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4237

13 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर॰सी॰ई॰पी॰ समझौता

4237. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने थाईलैंड के साथ आर॰सी॰ई॰पी॰ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समझौते के लाभ-हानि पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इससे देश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि इस समझौते के बाद भारत में सस्ते विद्युतकरघा और हथकरघा के सामानों की बाढ़ आ सकती है; और

(ङ) घरेलू हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): तीसरी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आसीईपी) लीडर्स समिति जो बैंकाक में 4 नवम्बर, 2019 को आयोजित हुई, भारत ने बताया कि आइसीईपी का वर्तमान ढांचा आरसीईपी के दिशानिर्देश सिद्धांतो को परिलक्षित नहीं करता है या बकाया मुद्दों तथा भारत के सरोकारों का समाधान नहीं करता जिसके आलोक में भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ। सरकार ने स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित परामर्श किया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, व्यापार विशेषज्ञों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से इनपुट प्राप्त किए हैं। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों सहित घरेलू संवेदनशील विषयों का समाधान करने के साथ संतुलित परिणामों, संतुलनकारी महत्वकांक्षाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से हुए आरसीपीई चर्चा में भारत की स्थिति का निरूपण करते समय इन इनपुटों को ध्यान में रखा गया।

(ङ): पूरे देश में घरेलू हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग के संवर्धन के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

- **विद्युतकरघा क्षेत्र:** साधारण विद्युतकरघों का स्व-स्थाने उन्नयन, समूह वर्कशेड योजना, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), सौर ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना

आदि जैसे घटकों के साथ पावरटैक्स इंडिया- एक व्यापक विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक के लिए शुरू की गई है।

- **हथकरघा क्षेत्र**: हथकरघा क्षेत्र जो असंगठित है, के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचएसडब्ल्यू), व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) और मूलभूत इनपुट के लिए यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), करघों तथा उपस्करों, डिजाइन विकास, अवसंरचना विकास, हथकरघा उत्पादों का विपणन आदि के अंतर्गत विकास सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में, उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हथकरघा उत्पादों की वे 11 मदें शामिल की जाती हैं जिनका उत्पादन मुख्य रूप से भारत में हथकरघा क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

****